न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –55 /2020 (प्रार्थना पत्र)

GCMS No. 2020/00055

1. लक्ष्मण आत्मज ग्यारसीलाल जाति नायक निवासी हरियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये मुख्तार आम श्री सुरेश कुमार गुप्ता आत्मज स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जाति मेडतवाल महाजन निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया, जरिये महाप्रबन्धक (क) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना किर्यान्वियन ईकाई ए–504, इन्द्रा विहार कोटा (राज0)

–––रेस्पोडेन्ट

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने एवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दिलदार सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 22.09.2021

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम अतरालिया पटवार हल्का अरलियाकलां तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 560/530 रकबा 0.37 हे0

जिला कलेक्टर
कोटा

किस्म बारानी तृतीय में से 0.28 हे0 अवाप्त की जाकर जारी अवार्ड दिनांक 08.02.2019 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।

3. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.11.2020 को प्रस्तुत किया कि ग्राम अतरालिया पटवार हल्का खीमच तहसील रामगंजमण्डी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 560/530 रकबा 0.37 हे0 किस्म बारानी तृतीय स्थित है । प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार कृषक है । प्रार्थी की उक्त आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग 12 नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश कमांक/89–91 दिनांक 8.2.2019 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के 318/500 किलो मीटर से 346/500 किलो मीटर के खण्ड कमलपुरा से दौला तक के खण्ड के निमार्ण हेतु तहसील रामगंजमण्डी के ग्राम कमलपुरा, मानपुरा, तोतलिया खेडी, हसकली, हीरियाखेडी, खीमच, अतरालिया, पामाखेडी, उम्मेदपुरा, रामपुरिया, सुकेत, बीडमण्डी, अरलियाखुर्द, बास्याहेडी, अरलिया कलां, गोला 16 ग्रामों की 11.5172 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–ए के अन्तर्गत अवाप्त की गई थी । प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 560/530 रकबा 0.37 हे0 किस्म बारनी तृतीय में से 0.28 हे0 भूमि अवाप्ति में शामिल थी, उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा 500 गुणा 10 फीट गुणा 3 फीट अर्था 15000 क्यूबिक फीट पर पक्की बाउण्ड्री बना रखी थी । अप्रार्थीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी को बिना नोटिस दिये उक्त बाउण्ड्री को ध्वस्त कर दिया जिसमें प्रार्थी को काफी नुकसान झेलना पडा उक्त भूमि के मुआवजे हेतु दिनांक 20.9.2018 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ । काफी चक्कर काटने के बाद प्रार्थी को भूमि का मुआवजा डी एल सी दर 7,30,041/– प्रति हे0 के हिसाब से बना दिया गया जबकि भूमि अवाप्ति के समय प्रार्थी की भूमि की वर्तमान डी एल सी रेट 24,15,494/– प्रति हे0 थी, प्रार्थी को उक्त 0.28 हे0 भूमि मय पक्की बाउण्ड्री का मुआवजा लेने का अधिकार बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने डी एल सी रेट की ओर ध्यान नहीं देकर भयंकर भूल की है । प्रार्थी दिनांक 15.10.2020 से पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था इसलिए चलने फिरने में समर्थ नहीं था, प्रार्थी आज दिनांक 9.11.2020 को चलने फिरने के योग्य हुआ इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है । उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की उपरोक्त अवाप्त किये जाने वाली रोड प्रयोजनार्थ भूमि का प्रचलित बाजार भाव 24,15,494/– से 3 गुना तथा एमीनीटी सेन्टर की अवाप्त की जाने वाली भूमि की वाणिज्यदर से 3 गुना तथा 15000 क्वायरफीट तोडी गई दीवार की राशि करीब 10,00,000/– सहित तद्नुसार सोल्यूशन की राशि ब्याज एवं अन्य देय लाभा प्रार्थी को दिये जाने के संबंध में संशोधित अधिनिर्णय आदेश पारित फरमाने की कृपा करें ।

4. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक व अप्रार्थी सं0 2 की ओर से श्री दिलदार सिंह अभिभाषक उपस्थित । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से

जिला कलक्टर
कोटा

जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है । उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

5. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम अतरालिया पटवार हल्का अरलियाकंलां तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 560/530 रकबा 0.37 हे0 किस्म बारानी तृतीय में से 0.28 हे0 अवाप्त की जाकर जारी अवार्ड दिनांक 08.02.2019 जारी किया गया । प्रार्थी को भूमि का मुआवजा डी एल सी दर 7,30,041/– प्रति हे0 के हिसाब से बना दिया गया जबकि भूमि अवाप्ति के समय प्रार्थी की भूमि की वर्तमान डी एल सी रेट 24,15,494/– प्रति हे0 थी, प्रार्थी को उक्त 0.28 हे0 भूमि मय पक्की बाउण्ड्री का मुआवजा लेने का अधिकार बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने डी एल सी रेट की ओर ध्यान नहीं देकर भयंकर भूल की है । उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा 500 गुणा 10 फीट गुणा 3 फीट अर्था 15000 क्यूबिक फीट पर पक्की बाउण्ड्री बना रखी थी । अप्रार्थीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी को बिना नोटिंस दिये उक्त बाउण्ड्री को ध्वस्त कर दिया जिसमें प्रार्थी को काफी नुकसान झेलना पडा उसका भी मुआवजा करीब 10,00,000/– सहित सोल्यूशन की राशि एवं अन्य देय लाभ प्रार्थी को दिये जाने हेतु संशोधित आदेश पारित फरमाने की कृपा करें ।

6. वकील अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख0नं0 560/530 की 0.28 हे0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम अतरालिया पटवार हल्का खीमच तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के 289.500 कि.मी. से 318.500 कि.मी.तक हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.5992(अ) दिनांक 29.11.2018 को जारी की जो भारत के राजपत्र में दिनांक 03.12.2018 को प्रकाशित की गयी । तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 560/530, की 0.28 हे0 किस्म बारानी तृतीय निजी हितबद्व श्री लक्ष्मण पुत्र ग्यारसीराम जाति नायक निवासी हरियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

जिला कलेक्टर
कोटा

द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की राधारा 3–जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार किया गया । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा खसरा नम्बर 560/530 की 0.28 हे0 बारानी तृतीय निजी वाके ग्राम अतरालिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित प्रार्थीया की अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–ए की भारत के राजपत्र दिनांक 27.08.2018 के समय प्रचलित डीएलसी दर अथवा 3–ए की अधिसूचना के प्रकाशन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान उसी प्रकार की भूमि के लिए रजिस्ट्रीकृत विकय विलेखों या विकय के करारों में से आधे विलेखों या करारों जिनकी उच्चतम विकय कीमत हो, की औसतन दर दौनों में से जो भी अधिक हो के अनुसार अवार्ड कमांक 89–91 दिनांक 08.02.2019 द्वारा तय किया गया है । प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अवार्ड कमांक/89–91 दिनांक 08.02.2019 को निर्धारित किया गया है वह पूर्णरूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा जिसमें किसी प्रकार की कोई अंकीय त्रुटि अथवा कमी नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं संशोधित अधिनियम 1997, सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम अतरालिया के खसरा नम्बर 560/530 की 0.37 हे0 में से 0.28 हे0 भूमि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के 289.500 कि.मी. से 318.500 कि.मी.तक हेतु में अवाप्ति हेतु एवार्ड पारित कर दिया गया । कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 08.02.2019 को प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3क की प्रचलित डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है । वकील प्रार्थी का कथन कि 500 गुणा 10 फीट गुणा 3 फीट अर्था 15000 क्यूबिक फीट पर पक्की बाउण्ड्री बनी हुई थी जिसका मुआवजा यदि नहीं दिया गया है तो जांच की जाकर दिया जाना उचित मानते है । साथ ही प्रार्थी की अवाप्त भूमि की सही स्थिति की जांच कर 3–ए की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी0एल0सी0 दर अनुसार गणना कर उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानते है ।

कोटा

कलेक्टर

8. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रार्थी की अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति का सही आंकलन कराया जाकर 3–ए की अधिसूचना के वक्त की निर्धारित डीएलसी दर से भूमि का मूल्यांकन करने एवं यदि प्रार्थी की दिवार का भुगतान बकाया है तो नियमानुसार प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा